भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 116 (आर ई - 2012) /2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 08 मई, 2012

विषयः- प्याज की निर्यात नीति ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से अधिसूचना सं0 75 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 20.09.2011 में "प्रतिबंध का स्वरूप" कॉलम को निम्नानुसार संशोधित करती है ।

2. प्याजों का निर्यात, 2 जुलाई, 2012 तक की अवधि के लिए बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के अनुमत होगा । 2 जुलाई, 2012 की मध्यरात्रि तक जिसके लिए अनुमत निर्यात आदेश जारी नहीं किया गया है ऐसी कोई भी खेप, लागू न्यूनतम निर्यात मूल्य पर निर्यात के लिए अनुमत होगा, जोकि इसके बाद जारी होने वाली अधिसूचना के अनुसार होगा ।

3. प्याज के निर्यात के लिए नामित 13 राज्य व्यापार उद्यमों में से प्रत्येक, विदेश व्यापार महानिदेशालय को ई मेल onionexport-dgft@nic.in पर उनके द्वारा पंजीकृत मात्रा की रिपोर्ट **प्रतिदिन** भेजेगा । प्रतिदिन की रिपोर्ट में विषय शीर्ष "राज्य व्यापार उद्यम का नाम/अनुमत मात्रा/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि" होगा तथा उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :

(i) आवेदक का नाम

(ii) आवंटित मात्रा

(iii) आवेदक की आई ई सी संख्या

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :
प्याजों का निर्यात 2 जुलाई, 2012 तक बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के अनुमत होगा ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/ए एम 08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)